न्यायालय माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल संभाग चंबल संभाग मुरैना

रिवीजन क्रमांक /2019 निगरानी-0378/2019/मुरैना/भू.रा.

आवेदक/आपत्तिकर्ता - भरोसी पुत्र श्री देवी आयु-50वर्ष व्यवसाय - कास्तकारी निवासी-ग्राम पमाया तहसील व पोस्ट बानमोर जिला मुरैना म.प्र.

बनामगण

अनावेदकगण - 1. राकेश पुत्र श्री रामकरन शर्मा आयु-62वर्ष जाति-ब्राहमण व्यवसाय-काश्तकारी

2. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामकरन शर्मा आयु-60वर्ष जाति-ब्राहमणव्यवसाय-काश्तकारी

समस्त निवासीगण-ग्राम पमाया तहसील व पोस्ट बानमोर जिला मुरैना म.प्र.

3. मध्यप्रदेश शासन

रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

<u>रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959, विरूद्ध आदेश दिनांक 15.02.2019, अधीनस्थ विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त 8 बानमोर जिला मुरैना के प्रकरण क्र. 058/18-19/अ-6 उन्मान राकेश शर्मा बगैरह बनाम मध्यप्रदेश शासन ग्राम पमाया में रिवीजनकर्ता द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 32 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के आवेदन को अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2019 को निरस्त करने के आदेश से दुखित होकर उक्त रिवीजन प्रस्तुत है, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ए-1 है ।</u>

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-</u>

ए- यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त 8 बानमोर ,जिला मुरैना के न्यायालय में नामांतरण हेतु एक आवेदन दिनांक 01.11.2018 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि अनावेदकगण ने आवेदक से वादग्रस्त कृषि भूमि के सर्वे क्रमांक 324 का

547/2015
Legal

R 378/19 / गुरैना / म.प्र.

24.4.19 (1) - आवेदक अभि० श्री एम. एन. श्रीवास्तव उपस्थित।

(2) - आवेदक अभि० ने इसी सक्षम न्यायालय में Revision पेश करने के कारण इस प्रकरण को इस न्यायालय से Withdrawn करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(3) - अनुरोध स्वीकार करते हुए प्रकरण के Withdrawn करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[signature]
24.4.19

Noted
[signature]